न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 18/2020(2020/00092)

अनवान : –

1. श्योनारायण पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री दलवीर बैनीवाल –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय

दिनांक : 08/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 111/109 के कुल 16.1120 व रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 147/138 में कुल 5.6530 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम श्योनारायण के स्थान पर सोहनलाल व सोहनराम पुत्र श्योनारायण दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम श्योनारायण की बजाऐ सोहनलाल व सोहनराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता दौलाराम के सोहनलाल व सोहनराम नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम श्योनारायण पुत्र दौलाराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अलायला के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में श्योनारायण की बजाऐ सोहनलाल व सोहनराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम सोहनलाल व सोहनराम पुत्र दौलाराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम श्योनाराण पुत्र दौलाराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:49 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्योनारायण के स्थान पर सोहनलाल व सोहनराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम सोहनलाल

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

व सोहनराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी का रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 111/109 व रोही मौज़ा मालकस के खाता संख्या 147/138 में प्रार्थी का नाम श्योनारायण दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा पटवार हल्का की रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी श्योनारायण व अन्य रोहतास ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम श्योराटाडा के खाता सं0 111/109 के कुल 16.1120 व रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 147/138 में कुल 5.6530 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "**प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम श्योनाराण के स्थान पर सोहनलाल व सोहनराम दर्ज हो गया।**" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व बैंक पासबुक पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम श्योनाराण अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम श्योराटाडा के खाता सं0 111/109 व रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 147/138 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम "**सोहनलाल व सोहनराम के स्थान पर श्योनारायण**" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सोहनलाल व सोहनराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व [illegible] को आदेश जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08/02/21 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ (stamp)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ